न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08/2021

अपीलांट – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट –

1. लालाराम पुत्र भुराराम के का0मु0 सुखराम
2. किसनाराम पुत्र लालाराम
3. रेखा पुत्री लालाराम
4. मीरा पुत्री लालाराम जाति विश्नोई निवासी चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार चौहटन
2. चेतन पुत्र विरधा के कायम मुकाम
   2/1 सुनील कुमार पुत्र चेतन
   2/2 दिनेश पुत्र चेतन
   2/3 लुणाराम पुत्र चेतन
   2/4 दीपक पुत्र चेतन
   2/5 प्यारी पत्नी चेतन
3. राणा पुत्र विरधा
4. प्रताप पुत्र विरधा
5. हरीराम पुत्र खुमा
6. हरकन पुत्र खुमा
7. कालु पुत्र खुमा
8. हरदान पुत्र चिमा
9. रूपा पुत्र भुरा के कायम मुकाम
   9/1 मंगलाराम पुत्र रूपाराम
   9/2 सुखराम पुत्र रूपाराम
   9/3 सुगनी पुत्री रूपाराम
   9/4 मेसी पुत्री रूपाराम
   9/5 धुड़ी देवी पुत्री रूपाराम
   9/6 अणसी पत्नी रूपाराम
10. लाखा पुत्र माना
11. भीयाराम पुत्र मानाराम
12. हरचन्द पुत्र जसोता
13. देमाराम पुत्र जसोता
14. वीरमा पुत्र जसोता जाति विश्नोई निवासी चौहटन जिला बाड़मेर

(मुहर: न्यायालय जिला कलक्टर, सत्यमेव जयते, बाड़मेर (राजस्थान))

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा [illegible] अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1197 दिनांक 21.03.2005 [illegible] तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2से5, 7 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2025

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम चौहटन पटवार हल्का चौहटन के नामान्तरकरण सं. 1197 पर तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 21.03.2005 के विरूद्ध दिनांक 18.02.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा चौहटन के खसरा संख्या 424, 479, 520 कुल रकबा 58–14 बीघा भूमि अपीलांट्स एवं उतरदातागण के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 8 से 14 की भूमि का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा उतरदाता संख्या 2 से 7 का खातेदारी में इन्द्राज था। उतरदाता संख्या 2 से 7 द्वारा अपना हिस्सा अलग करने का प्रस्ताव अपीलाट्स व उतरदाता संख्या 8 से 14 के समक्ष रखा गया तब अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सहमति से बंटवाडा कर अपना 1/2–1/2 हिस्सा अलग करने का स्वीकार कर दिया। जिस पर दोनो पक्षों की सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाडा हेतु दस्तावेजात तैयार कर प्रस्तुत कर खसरा नंबर 424, 479, 502 रकबा क्रमशः 21–10 बीघा, 19–5 बीघा, 17–19 बीघा कुल रकबा 58–14 बीघा में 1/2 अर्थात 29–07 बीघा अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 8 से 14 के पक्ष में एवं 1/2 हिस्सा अर्थात 29–07 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 2 से 7 के पक्ष में रखते हुए आदेश दिनांक 21.03.2005 को पारित किया गया। तत्पश्चात् उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1197 खोलते समय उतरदा[illegible]ख्या 2 से 7 को 1/2 हिस्से अर्थात 29–07 बीघा से अधिक [illegible]8–06 बीघा भूमि दी जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया[illegible] चौहटन द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध [illegible] प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया हैं कि मौजा चौहटन के खसरा संख्या 424, 479, 520 कुल रकबा 58–14 बीघा भूमि अपीलांट्स एवं उतरदातागण के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 8 से 14 की भूमि का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा उतरदाता संख्या 2 से 7 का खातेदारी में इन्द्राज था। जिस पर दोनो पक्षों की सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाडा आदेश दिनांक 21.03.2005 को पारित किया गया। जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण खालते हुए उतरदाता संख्या 2 द्वारा षड्यंत्र पूर्वक पटवारी हल्का को अनुचित रूप से प्रभावित करते हुए अपने 1/2 हिस्से अर्थात 29–07 बीघा से अधिक भूमि अर्थात 38–06 बीघा भूमि का नामान्तरकण में अंकित करवा दी अर्थात उतरदाता संख्या 2 के हिस्से से करीबन 9 बीघा भूमि का अंकन नामान्तरकरण में करवाते हुए व उतरदाता संख्या 8 से 14 के हिस्से में 20–08 बीघा भूमि अंकन करते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 21.03.2005 पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं।

5. रेस्पो. संख्या 2से5, 7 के अधिवक्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच उपरांत प्रशासन आपके द्वारा अभियान में विधिवत रूप से स्वीकृत विभाजन की अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश जारी किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा विभाजन स्वीकृति के मूल आदेश की अपील नही कर नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो चलने योग्य नही हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण विभाजन स्वीकृति की अनुपालना में भरा गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्यातिक भूल नहीं होने से अपीलांट्स की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा चौहटन के खसरा संख्या 424, 479, 520 कुल रकबा 58–14 बीघा भूमि अपीलांट्स एवं उतरदातागण के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 8 से 14 की भूमि का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा उतरदाता संख्या 2 से 7 का खातेदारी में इन्द्राज था। पक्षकारान की सहमति से प्रशासन आपके द्वारा अभियान में बंटवाडा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिनांक 21.03.2005 को पारित किया गया। तत्पश्चात् उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1197 खोलते समय उतरदाता संख्या 2 द्वारा उतरदाता संख्या 2 से 7 को 1/2 हिस्से अर्थात 29–07 बीघा से अधिक भूमि अर्थात 38–06 बीघा भूमि दी जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। अपीलांट्स ने तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि पक्षकारान की सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाडा आदेश दिनांक 21.03.2005 को पारित किया गया। जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण खालते हुए उतरदाता संख्या 2 द्वारा षड्यंत्र पूर्वक पटवारी हल्का को अनुचित रूप से प्रभावित करते हुए अपने 1/2 हिस्से अर्थात 29–07 बीघा से अधिक भूमि अर्थात 38–06 बीघा भूमि का नामान्तरकण में अंकित करवा दी अर्थात उतरदाता संख्या 2 के हिस्से से करीबन 9 बीघा भूमि का अंकन नामान्तरकरण में करवाते हुए व उतरदाता संख्या 8 से 14 के हिस्से में 20–08 बीघा भूमि अंकन करते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 21.03.2005 पारित किया है जो निरस्त योग्य है। [illegible] रेस्पो. संख्या 2से5, 7 द्वारा प्रकट किया कि अधीनस्थ [illegible] विधिवत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश जारी किया [illegible] हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्याती भूल नहीं होने से अपीलांट्स की यह अपील सारहीन एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में सहमति से बंटवाडा आदेश दिनांक 21.03.2005 को पारित किया गया। जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण खोलते समय उतरदाता संख्या 01 द्वारा उतरदाता संख्या 2 से 7 को 1/2 हिस्से अर्थात 29–07 बीघा से अधिक भूमि अर्थात 38–06 बीघा भूमि दी जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा यदि विभाजन स्वीकृति में भी पक्षकारान के अभिलिखित हिस्सों के इतर यदि विभाजन किया गया भी गया है तो वह तहसीलदार के क्षेत्राधिकार से परे है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 21.03.2025 विधिविरूद्ध एवं अभिलिखित हिस्सों के प्रतिकूल होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार चौहटन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1197 दिनांक 21.03.2025 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि ग्राम चौहटन के खसरा संख्या 424, 479, 520 कुल रकबा 58–14 में विभाजन आदेश दिनांक 21.03.2005 के अनुसरण में अपीलांट्स व अन्य सहखातेदारान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन स्वीकृति आदेश की अनुपालना में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर